पत्र संख्या : एफ0एस0-62 /2011

कार्यालय
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाजियाबाद

दिनांक : 22/9/2011

सेवा में,

वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
वास्तु कला एवं नियोजन इकाईं,
वसुन्धरा काम्पलैक्स, सै0-16,
वसुन्धरा, गाजियाबाद।

विषयः मै0 गार्डनिया इन्डिया लि0 (गार्डनिया गीतांजली) द्वारा ग्रुप हाउसिंग भवन हेतु अग्नि शमन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्र 518/10/2011-12/1 दिनांक 28.06.2011

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र अनुसार **प्लाट नं0-12, सैक्टर-18, वसुन्धरा, गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन** जिसका कुल प्लॉट ऐरिया 7638.40 वर्ग मीटर, प्रस्तावित ग्राउन्ड कवरेज 1048.84 वर्ग मीटर, प्रस्तावित अपर बेसमेन्ट कवर्ड ऐरिया 4573.54 वर्ग मीटर, प्रस्तावित लोअर बेसमेन्ट कवर्ड ऐरिया 4573.54 वर्ग मीटर, प्रस्तावित टोटल एफ0ए0आर0 19080.45 वर्ग मीटर प्रस्तावित यूनिट 165 तथा ऊंचाई 59.95 मीटर प्रस्तावित है, संलग्न भवन मानचित्र एवं साईट प्लान का अवलोकन उपरान्त स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी वैशाली, गाजियाबाद द्वारा कराया गया, सन्तोषजनक है।

भवन में स्ट्रक्चरल सेफ्टी / निकास द्वार / अवरोधमुक्त सेट बेक 45 टन प्रति वर्ग मीटर लोड बियरिंग कैपिसीटी फायर टेण्डर मूवमेन्ट के सम्बन्ध में निर्णय आप द्वारा अपेक्षित है। भवन निर्माण कार्यों में उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 का अनुपालन भी भवन निर्माता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। भवन में सभी तलों पर स्टेयर केस पर 2 घन्टे फायर रेटिंग का फायर प्रूफ, स्मोक चैक डोर एवं बेसमेन्ट में मैकेनिकल वैन्टीलेशन एवं स्मोक एक्सट्रेशन का कराया जानां भी आवश्यक होगा।

भवन में अग्नि से सुरक्षा का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के अनुरूप कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्र/साइट प्लान का प्राथमिक अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि : मै0 गार्डनिया इन्डिया लि0, प्लाट नं0-9, सै0-75, नौएडा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाजियाबाद